

28 ³/₁₈ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। उभय पक्ष के वकीलों द्वारा पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत कि गई जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्ष के वकीलों की बहस भी पूर्व में सुनी जा चुकी है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि मौजा चक डूंगरपुर तहसील डूंगरपुर में आराजी नम्बर 35 से लगाय 48 व आराजी नम्बर 62 से लगाय 66 तथा आराजी नम्बर 76 कुल किता 52 रकबा 5.05 हैक्टर भूमि स्थित है। यह जमीन पन्नाजी व भीखाजी भौई को महारावल डूंगरपुर से 51 बीघा 8 बिस्वा 2 डूंगरा जमीन दिनांक 06.06.1953 को प्राप्त हुई। उक्त जमीन में से भीखा भाई ने कुल किता 10 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा जमीन में से 03 बीघा भूमि दिनांक 04.08.1970 को नारायण पिता परथाजी कुम्हार को बेचान कर कब्जा उन्हें सुपुर्द कर दिया तथा कुलिया विक्रय राशि भीखाजी ने प्राप्त कर ली। नारायणजी का स्वर्गवास हो जाने से उनके पुत्र धुलजी व भंवरलालजी ने उक्त भूमि 02.07.1994 को वादी को विक्रय कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि का मालिक काबिज व कानूनी खातेदार काश्तकार हो चुका है। विपक्षी संख्या 01 सावित्री बाई ने उक्त कुलिया 51 बीघा 08 बिस्वा भूमि सन् 1973 में भीखाजी व पन्नाजी से खरीदी उसमें से कुछ जमीन प्रतिवादी संख्या 2,3 व 4 को विक्रय कर दी जब नारायण कुम्हार के पुत्र धुलजी व भंवरलालजी ने जमीन दिनांक 04.08.1970 से भीखाजी से खरीदी और कब्जा प्राप्त कर लिया तो इसी जमीन को भीखाजी व पन्नाजी को सन् 1973 में प्रतिवादी संख्या 1 को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। कथित विक्रय पत्र भीखाजी ने धुलजी व भंवरलाल के पिता नारायणजी के हक में निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा नारायणजी का स्वर्गवास हो जाने से उसकी रजिस्ट्री नहीं होने से नारायणजी के दोनो पुत्र 12 वर्षों तक शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जे में रहने से उनका पजेसरी टाइटल हो चुका है तथा वो मालिक काबिज व कानूनी खातेदार व कब्जे के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। इसी जमीन को प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार पिता शंकरलाल पंचाल नि0 डूंगरपुर ने 1994 में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तथा इसका विक्रय ईकरार धुलजी, भंवरलालजी द्वारा स्टाम्प पर निष्पादित कर देने से सन् 1994 से आज दिन तक प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा होने से तथा 22 वर्षों का समय हो जाने से प्रार्थी का पजेसरी टाइटल हो चुका है। मौके पर जिस भूमि का वादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया गया उस जमीन के आराजी नम्बर 44, 45, 46, 47, एवं 48 कुल रकबा 0.50 हैक्टर है। इसी जमीन को भीखाजी व पन्नाजी द्वारा 1973 में विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर दिया जो दौबारा विक्रय कि परिभाषा में आता है, जो कानूनन नल एण्ड वोइड होने से प्रारम्भ से ही शुन्य है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि जिसके संबंध में इस न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है, में प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। सन् 1994 से प्रार्थीगण का लगातार कब्जा चला रहे इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। वकील प्रार्थी द्वारा आगे

0

बताया गया कि वादग्रस्त भूमी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो दावे का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णनिय क्षति होगी। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1-4 ने बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 44, 45, 46, 47 एवं 48 कुल रकबा 0.50 हैक्टर भूमी पर प्रतीकुल कब्जे एवं तथाकथित विक्रय इकरार दिनांक 02.07.1994 को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है। विक्रय इकरार कानूनन किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं आता है किसी भी अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को राईट, टाईटल एवं इन्टरेस्ट प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे दस्तावेज का कानून में कोई महत्व नहीं है और ऐसा दस्तावेज एक्ट की धारा 17/49 के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी ने आगे बताया कि प्रार्थीगण ने इसी तथाकथित विक्रय इकरार 04.08.1970 तथा विक्रय इकरार 02.07.1994 के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में सिविल रिट संख्या 14706/2015 प्रस्तुत की थी। उक्त रिट याचिका नगरपरिषद, डूंगरपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें आराजी संख्या 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, एवं 80 अंकित किये थे जबकी वर्तमान वाद में खसरा नम्बर 44, 45, 46, 47, एवं 48 बताये हैं। वकील अप्रार्थी ने आगे बताया कि इस प्रकार प्रार्थीगण धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित है। वादीगण RULE OF ESTOPPEL यानि विबंधन के सिद्धांत से बाधित है तथा एक ही दस्तावेज के बारे में अलग-अलग न्यायालय में अलग-अलग कथन नहीं कर सकते। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र एवं मूल वाद छल एवं कपट पूर्वक विपक्षिण व अन्य कि भूमी हडपने से प्रस्तुत किया गया है इसलिए निरस्त किया जावे। साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

उभय पक्ष के विद्वान वकिलों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/साईटेशन का अवलोकन किया। पत्रावली में सलग्न ग्राम चक डूंगरपुर पटवार हल्का डूंगरपुर की संवत् 2049 से 2052 की जमाबंदी की प्रति के अनुसार खाता संख्या 20 नई 19 पुरानी कुल किता 22 रकबा 5.05 हैक्टर भूमि के किसी भी खसरे के प्रार्थी कभी भी रिकाडेर्ड खातेदार नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा विक्रय इकरार 04.08.1970 तथा विक्रय इकरार 02.07.1994 को आधार बना कर वाद प्रस्तुत किया गया है। विक्रय इकरार के पश्चात् कोई रिजस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादीत किया गया हो ऐसी कोई तथ्य/दस्तावेज पत्रावली में सलग्न नहीं है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इन्हीं विक्रय इकरारों को आधार को लेकर एक वाद माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में सिविल रिट संख्या 14706/2015 नगरपरिषद डूंगरपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिसमें उक्त दस्तावेज के आधार पर खसरा नं0 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, एवं 80 अंकित किये थे जबकी वर्तमान वाद में खसरा नम्बर 44, 45, 46, 47, एवं 48 बताये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता



है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं0 44, 45, 46, 47, एवं 48 पर कब्जा होने के संबंध में कोई लिखित/दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझता हूँ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

SDO
29/3/18